



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1093]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 11, 2007/भाद्र 20, 1929

No. 1093]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 11, 2007/BHADRA 20, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2007

का.आ.1519(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, अनुवंश प्रौद्योगिकी और सूक्ष्म जीवों के अनुप्रयोग के संबंध में पर्यावरण, प्रकृति और स्वास्थ्य को बचाने के लिए दिनांक 5 दिसम्बर, 1989 की सं. सा.का.नि. 1037, के अंतर्गत परिसंकटमय सूक्ष्मजीव/अनुवांशिकता निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भण्डारण नियमावली, 1989 (जिसे इसके बाद उक्त नियमावली कहा गया है) को अधिसूचित किया है,—

और, उक्त नियमावली के नियम 20 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय उक्त नियमावली के नियम 7 से 11 के उपबंधों के अनुप्रयोग से किसी प्रकार के सूक्ष्म जीवों/आनुवंशिकता निर्मित जीवों का हथालन करने वाले किसी अधिभोगी को छूट दे सकता है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अब यह आवश्यक समझता है कि नीचे की तालिका के कॉलम (1) में दिए गए संजीव परिवर्तित सूक्ष्म जीवों से प्राप्त संसाधित खाद्य के अधिभोगी को उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट नियम के उपबंधों से छूट दी जा सकती है।

अब, परिसंकटमय सूक्ष्मजीव/आनुवंशिकता निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भण्डारण नियमावली, 1989 के नियम 20 के अनुसरण में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, तालिका में दिए गए संजीव परिवर्तित सूक्ष्मजीवों से प्राप्त संसाधित खाद्य के अधिभोगी को इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से छूट देती है; प्रामाण्यः—

तालिका

संजीव परिवर्तित सूक्ष्म जीवों से प्राप्त संसाधित खाद्य में	जिस नियम से छूट दी गई
(1)	(2)
खाद्य पदार्थ, संजीव परिवर्तित सूक्ष्मजीवों से प्राप्त संसाधित सहायता सहित खाद्य पदार्थों में संघटक और योज्य जहां अंतिम उत्पाद संजीव परिवर्तित सूक्ष्मजीव नहीं है।	नियम 11

[फा. सं. 13/16/2007- सीएस-III]

ए. के. गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— परिसंकटमय सूक्ष्मजीव/आनुवंशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भण्डारण नियमावली, 1989 को दिनांक 15 दिसम्बर, 1989 की सं. सा.का.नि. 1037(अ) जो दिनांक 13 सितम्बर, 1993 की का.आ. 677(अ) की अधिसूचना द्वारा अस्तित्व में आई और बाद में दिनांक 14 जुलाई, 2005 की सं. सा.का.नि. 493(अ) और दिनांक 20 सितम्बर, 2006 की सं. सा.का.नि. 616(अ) की अधिसूचनाओं के तहत इसमें संशोधन किया गया।